इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अप्रैल 2024—वैशाख 9, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2024

क्र. 6569-71-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०२४

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २९ अप्रैल, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, २०२४ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालाविध के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ तथा ४ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २० का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(एक) वह पार्षद् के निर्वाचन की दशा में, ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, धारा ५५ के अधीन आहूत सम्मिलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए; और;''.

धारा ४५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४५ में, पार्श्व शीर्ष और उपबंध में, शब्द ''अध्यक्ष और'' का लोप किया जाए.

भोपाल : तारीख १८ अप्रैल, २०२४. मंगुभाई छ. पटेल राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2024

क्र. 6569-71-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 OF 2024

THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2024

["First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 29th April, 2024.]

Promulgated by the Governor in the seventy-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2024.

Short title.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 4.

Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961 to be temporarily amended.

3. For clause (i) of sub-section (3) of Section 20 of the principal Act, the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 20.

- "(i) It is presented within thirty days, in case of election of Councillor, from the date on which result of such election or nomination was notified in the official Gazette, and in case of election of President, from the date on which the election of the President is completed in the meeting convened under section 55; and.".
- 4. In Section 45 of the principal Act, in the marginal heading and provision, the words "President and" shall be omitted.

Amendment of Section 45.

BHOPAL: Dated, the 18th April, 2024

MANGUBHAI C. PATEL Governor, Madhya Pradesh.